भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में सहायक प्रोफेसर (तंत्रिका मनोविज्ञान) के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में सहायक प्रोफेसर (तंत्रिका मनोविज्ञान) के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	सहायक प्रोफेसर (तंत्रिका मनोविज्ञान)	सहायक प्रोफेसर (तंत्रिका मनोविज्ञान)	
2.	पदों की सं.	-	1 (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	-	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	-	वेतन मैट्रिक्स का लेवल- 10 (रु. 56100)	
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	-	लागू नही	
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	-	अधिकतम 35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए केनद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक शिथिलनीय) टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जो भारत के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी-14017/13/2013 – एस्ट (आरआर) में दिए गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार।

			के लिए आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख)	
क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	-	अनिवार्य: 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्लीनिकल मनोविज्ञान में एम.फिल अथवा डिप्लोमा अथवा समकक्ष । 3. मनश्चिकित्सा अस्पताल, मनिश्चकित्सा क्लीनिक, चाइल्ड गाइडेंस क्लीनिक अथवा किसी सामान्य अस्पताल के मनश्चिकित्सा विभाग में तंत्रिका मनोविज्ञानिक के रूप में दो वर्ष का अध्यापन/ अनुसंधान का अनुभव। नोट: अनुभव संबंधी अर्हता: में सम लोक सेवा आयोग के विवेका अनुसार अनुसूची जाति अथवा अनुसूची जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में तब छुट दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में सं. लो. से. आ. का यह मानना हो कि इस श्रेणी से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उतने अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जितने के लिए रिक्तियां आरक्षित है। वांछनीय: (i) क्लीनिकल मनोविज्ञान अथवा शरीररचना विज्ञान अथवा सामाजिक मनोविज्ञान अथवा समाज शास्त्र में डॉक्टर की उपाधि।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 31.3.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी-14017/13/2013 – एस्ट (आरआर) में दिए गए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार । तकनीकि अथवा विशेषज्ञ प्रकृति के पदों के लिए न्यूनतम अर्हता संबद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि होगी।

			(ii) वैयक्तिक और ग्रुप मनश्चिकित्सा तथा परामर्शन तकनीकि का अनुभव।	
क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	-	लागू नहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	-	एक वर्ष	
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	-	नोट: यदि रिक्ति पदधारी के प्रतिनियुक्त पर होने अथवा लंबी बिमारी पर होने अथवा अध्ययन अवकाश पर होने अथवा किसी अन्य परिस्थितिवश 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए बनी रहती है तो उस रिक्ति को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्त के आधार पर भरा जा सकेगा।	
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	-	लागू नही	-
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	-	ग्रुप 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति/ नियमितीकरण के लिए) की संरचना : 1. अध्यक्ष/सदस्य, सं.लो.से.आ. - अध्यक्ष 2. उपमहानिदेशक (एम), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक (एम.ई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	-	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सभा आयोग से परामर्शन आवश्यक है।	